


बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2010 ई0।


संख्या-4/विविध-5-109/2009(खंड-1)का0.2473...../ मंत्रिमंडल
सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-मं0मं0-01/आर0-31/2009-2094
दिनांक 17.11.2009 के अंतर्गत कार्यपालिका नियमावली में संशोधनों द्वारा
" कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग "का नाम दिनांक 01.04.2010 के
प्रभाव से " सामान्य प्रशासन विभाग " के नाम से प्रतिस्थापित किया जा चुका
है।

2. उक्त निर्गत अधिसूचना के फलस्वरूप दिनांक 1.4.2010 के
प्रभाव से इस विभाग से होनेवाले सभी पत्राचार " सामान्य प्रशासन विभाग " के
नाम से किये जायेंगे।


3. पूर्व निर्गत सरकारी संकल्पों/ परिपत्रों / आदेशों /
अधिसूचनाओं में अंकित "कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग"शब्द समूह स्वतः
"सामान्य प्रशासन विभाग " के रूप में संशोधित माना जायेगा।


(अजय कुमार चौधरी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4/विविध-5-109/2009(खंड-1)2473/का0, पटना, दिनांक 16 मार्च, 2010
प्रतिलिपि अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना को आगामी असाधारण
गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4/विविध-5-109/2009(खंड-1)2473/का0, पटना, दिनांक 16 मार्च, 2010
प्रतिलिपि सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रगंडलीय आयुक्त/सभी
जिला पदाधिकारी/विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-4/विविध-5-109/2009(खंड-1)2473/का0, पटना, दिनांक 16 मार्च, 2010
प्रतिलिपि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ उच्च न्यायालय, पटना/बिहार
विधान सभा/परिषद सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।